

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (पॉलि) काशि/अनु0/2013/ 384


दिनांक:- 4.2.2013

संशोधन आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4 (पॉलिसी) काशि/अनु/2013-14/233 दिनांक 31.1.2013 के द्वारा निजी महाविद्यालयों के स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रम में गठित निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संलग्न निरीक्षण प्रपत्र में भूमि संबंधी निर्धारित मानदण्डों (पृष्ठ सं० 7) में निम्नानुसार पढ़ा जायें :-

1. जयपुर महानगरीय क्षेत्र - 2000 वर्ग मीटर
2. अन्य संभागीय मुख्यालय क्षेत्र में - 4000 वर्ग मीटर
3. जिला मुख्यालय क्षेत्रों में - 5000 वर्ग मीटर
4. अन्य क्षेत्रों में - 8000 वर्ग मीटर


समस्त मानदण्डों के लिए इस विभाग की वेब साईट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें ।


अतिरिक्त निदेशक ।

384
4.2.2013

प्रतिलिपी:-

श्री धीरेन्द्र देवर्षि को भेजकर लेख हैं कि संशोधन आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें ।


संयुक्त निदेशक ।